न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 108/2023

GCMS CASE NO-2023/108

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन भोजेवाला तह0सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2.दुलीचन्द पूत्रश्री देवीलाल जाति जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।

2. हरिसिंह पूत्र श्री चुन्नी सिह जाति राजपूत साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

............उतरवादीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू. राजस्व अधिनियम।

उपरिथतिः–

1 श्री आनंद कुमार स्वामी अधिवक्ता, अपीलांट

2 पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांक 29.07.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 11.10.2022 स्वीकृति दिनांक 12.10.22 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की खरीद की गई भूमि के खातेदारी का इन्तकाल पुनः उतरवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया है जो कि विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी योग्य है। अपीलार्थीगण के द्वारा उतरवादी संख्या 2 की भूमि रोही मोजा भोजेवाला के खेत खसरा नम्बर – 18/6 कि 5.819 है0 बारानी खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा हरूनाथ व गिरधारीनाथ से खरीद शुदा है जिसका इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड के इन्तकाल संख्या 28 दिनांक 20.04.2013 की है। जो कि अपीलार्थीगण 2013 से उक्त भूमि खातेदार कृशक है। व अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद आदि नही है। अपीलार्थीगण अपनी खरीद शुदा भूमि में काबिज काश्त है। जिसकी बाबत कोई विवाद आदि नही है। व राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलार्थीगण के नाम से ब0हि0ब0दर्ज रिकॉर्ड है। दिनांक–24.09.2012 को उक्त भूमि रोही मोजा भोजेवाला के खेत खसरा नम्बर – 18/6 कि 5.819 है0 बारानी भूमि कि खातेदारी सनद तहसीलदार सूरतगढ़ से जारी हो चुकी है। जिसका [illegible] सनद का इन्तकाल दिनांक 05.10.2012 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। [illegible] भूमि उतरवादी संख्या 2 द्वारा हरनाथ पुत्रश्री रामनाथ व गिरधारीनाथ पूत्र [illegible]रनाथ कौम नाथ साकिन सूरतगढ़ को जरिये बैयनामा के बेचान [illegible] जिसका इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड [illegible]/20.12.2012 को दर्ज शुदा है। व उसके बाद उक्त [illegible] हरनाथ व गिरधारीनाथ द्वारा अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:28:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

बेचान कर दी थी जिसका इन्तकाल 28/20.04.13 को अपीलार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व अब अपीलार्थीगण उक्त भूमि के ब0हि0ब0 के मालिक व काबिज व खातेदारी कृषक है। जो कि रिकॉर्ड से साबित होता है। दिनांक 10.10.2022 को उतरवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के यहा पर पेश कर खातेदारी सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद दर्ज करवाने हेतू पेश की जिस पर तहसीलदार साहब सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खातेदारी सनद खारिज व स्थगण नही हो तो नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करने का आदे ा पारित कर दिया गया व इसी आदेश के क्रम में दिनांक –11.10.2022 के आदे ा को पालनार्थ मान कर दिनांक 12.10.2022 को खातेदारी सनद का दुबारा इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जब कि उक्त भूमि के खातेदारी सनद का इन्तकाल पूर्व में दिनांक –05.10.2012 को स्वीकृत हो चुका है। व उसके बाद रजि0 बैयनामा भी सम्पादित हो चुका है। व रजि0 बैयनामा के आधार पर अपीलार्थीगण भूमि के मालिक है। इसलिये उतरवादी सं.2 के पक्ष में दिनांक – 12.10.22 को स्वीकृत किया गया खातेदारी सनद का इन्तकाल निरस्ती योग्य है। व काबिले खारिज योग्य है। खातेदारी सनद का इन्तकाल हल्का पटवारी व तहसीलदार सूरतगढ़ की भूल का परिणाम है जिन्होने किसी भी प्रकार से भूमि सम्बन्धित दस्तावेजो कि जांच किये बगेर ही अपनी मनमर्जी तरीके से विधि विरूद्व तरीके से दर्ज इन्तकाल को ना देखते हुये पुनः इन्तकाल दर्ज कर कानूनी भूल कि है। जो कि निरस्ती योग्य व काबिले खारिज योग्य है। हल्का पटवारी इन्तकाल दर्ज करने में सक्षम है व तहसीलदार सूरतगढ़ इन्तकाल स्वीकृत करने में सक्षम है परन्तु हल्का पटवारी व तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पूर्णतः जांच कर फिर इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था जो कि उन्होने नही किया व बिना किसी देरी के दिनांक – 10.10.2022 के प्रार्थना पत्र पर 11.10.2022 को आदेश कर दिनांक 12.10.2022 को खातेदारी सनद का इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया जो कि मात्र दो दिन कि प्रकिया मे सारे काम निपटा दिये गये जो कि सन्देह की श्रेणी में आते है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट की समीक्षा किए बिना ही प्रकरण का निर्णय कर दिया जो कि विधि विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण एक सीधे साधे कृषक है जिनका हल्का पटवारी व तहसीलदार से ज्यादा किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नही है व नाही कोई [illegible] है अपीलार्थीगण भोले भाले लोग है। जो कि हल्का पटवार की गल्ती के कारण [illegible] अपीलार्थीगणो को अपूर्णनिय क्षति हो सकती है इसलिये पारित आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दि.11.10.2022 जिसके तहत दिनांक 12.10.2022 को खातेदारी सनद इन्तकाल स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जावें। एवं पत्रावली से उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर अपीलार्थीगणो के हक मे पूर्व पारित इन्तकाल ही बहाल रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 10.09.2023 को अपीलार्थीगण अपनी भूमि सम्बन्धित जमाबन्दी व भूमि प्रमाण पत्र आदि लेने के लिये गये तो वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा कागजात जांच किये तो उक्त इन्तकाल बाबत सूचना दी गई तब अपीलार्थी द्वारा पूर्व पटवारी से मिला तो उसने कहा कि गलती से इन्तकाल दर्ज हो गया है जिसे कि दुरूस्त करवा दिया जावेगा, परन्तु पूर्व हल्का पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही कि गई तो अपीलार्थी वर्तमान हल्का पटवारी से मिला और उन्होने कि आप वकील कर उक्त मामले बाबत एक अपील पेश कर इसे निरस्त करवाये तब अपीलार्थी ने बिना किसी देरी किये हुये अपने वकील से मिल कर व पटवार हल्का से कागजात आदि लेकर अपील प्रस्तुत बिना देरी के कर रहा है। जो कि स्वीकृत योग्य है। अपीलार्थी की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:28:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

भूल नही है। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.09.2023 को हुई। दिनांक 15.09.2023 को नकल प्राप्त हुई। उसके पश्चात अपील खर्च का इंतजाम कर बिना किसी अतिरिक्त देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है अपीलार्थीगण ने जानबुझ कर देरी नही की है अपील जानकारी से अन्दर मियाद है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अपीलांट सुनी गई चूंकि प्रकरण का फैसला तकनीकी बिन्दुओं पर न करके गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंदर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 11.10.2022 स्वीकृति दिनांक 12.10.22 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की खरीद की गई भूमि के खातेदारी का इन्तकाल पुनः उत्तरवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया है जो कि विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी योग्य है। अपीलार्थीगण के द्वारा उतरवादी संख्या 2 की भूमि रोही मोजा भोजेवाला के खेत खसरा नम्बर – 18/6 कि 5.819 हे0 बारानी खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा हरूनाथ व गिरधारीनाथ से खरीदशुदा है जिसका इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड के इन्तकाल संख्या 28 दिनांक 20.04.2013 की है। जो कि अपीलार्थीगण 2013 से उक्त भूमि खातेदार कृषक है। व अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद आदि नही है। अपीलार्थीगण अपनी खरीद शुदा भूमि में काबिज काश्त है। जिसकी बाबत कोई विवाद आदि नही है। व राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलार्थीगण के नाम से ब0हि0ब0दर्ज रिकॉर्ड है। दिनांक–24.09.2012 को उक्त भूमि रोही मोजा भोजेवाला के खेत खसरा नम्बर – 18/6 कि 5.819 हे0 बारानी भूमि कि खातेदारी सनद तहसीलदार सूरतगढ़ से जारी हो चुकी है। जिसका खातेदारी सनद का इन्तकाल दिनांक 05.10.2012 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। व उसके बाद उक्त भूमि उतरवादी संख्या 2 द्वारा हरनाथ पुत्रश्री रामनाथ व गिरधारीनाथ पुत्रश्री भोरनाथ कौम नाथ साकिन सूरतगढ़ को जरिये बैयनामा के बेचान कर दी थी व जिसका ईन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में 21/20.12.2012 को दर्ज शुदा है। व उसके बाद उक्त भूमि हरनाथ व गिरधारीनाथ द्वारा अपीलार्थी को बेचान कर दी थी जिसका इन्तकाल 28/20.04.13 को अपीलार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व अब अपीलार्थीगण उक्त भूमि के ब0हि0ब0 के मालिक व काबिज व खातेदारी कृषक है। जो कि रिकॉर्ड से साबित होता है। दिनांक 10.10.2022 को उतरवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के यहा पर पेश कर खातेदारी सनद का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद दर्ज करवाने हेतू पेश की जिस पर तहसीलदार साहब सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खातेदारी सनद खारिज व स्थगन नही हो तो नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया व इसी आदेश के कम में दिनांक –11.10.2022 के आदेश को पालनार्थ मान कर दिनांक 12.10.2022 को खातेदारी सनद का दुबारा इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जब कि उक्त भूमि के खातेदारी सनद का इन्तकाल पूर्व में दिनांक –05.10.2012 को स्वीकृत हो चुका है। व उसके बाद रजि0 बैयनामा भी सम्पादित हो चुका है। व रजि0 बैयनामा के आधार पर अपीलार्थीगण भूमि के मालिक है। इसलिये उतरवादी सं.2 [illegible] को स्वीकृत किया गया खातेदारी सनद का इन्तकाल निरस्ती योग्य है [illegible] सनद का इन्तकाल हल्का पटवारी व तहसीलदार सूरतगढ़ [illegible] प्रकार से भूमि सम्बन्धित दस्तावेजो कि जांच [illegible] से विधि विरूद्व तरीके से दर्ज इन्तकाल को ना देखते हुये पुनः इन्तकाल [illegible] कर कानूनी भूल कि है। जो कि निरस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:28:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

योग्य व काबिले खारिज योग्य है। हल्का पटवारी इन्तकाल दर्ज करने में सक्षम है व तहसीलदार सूरतगढ़ इन्तकाल स्वीकृत करने में सक्षम है परन्तु हल्का पटवारी व तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पूर्णतः जांच कर फिर इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था जो कि उन्होने नही किया व बिना किसी देरी के दिनांक 10.10.2022 के प्रार्थना पत्र पर 11.10.2022 को आदेश कर दिनांक 12.10.2022 को खातेदारी सनद का इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट की समीक्षा किए बिना ही प्रकरण का निर्णय कर दिया जो कि विधि विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

राजपैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा बैयनामा से सम्बंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए थे रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जांच कर इंतकाल स्वीकृत किया गया था अतः अपील अपीलांट निरस्ती योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रोही मोजा भोजेवाला के खसरा नम्बर – 18/6 कि 5.819 हे0 बारानी भूमि कि खातेदारी सनद तहसीलदार सूरतगढ़ से पूर्व में दिनांक 24.09.2012 को जारी हो चुकी है। खातेदारी सनद का इन्तकाल दिनांक 05.10.2012 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उसके बाद उक्त भूमि उतरवादी संख्या 2 द्वारा हरनाथ पुत्र श्री रामनाथ व गिरधारीनाथ पुत्र श्री शेरनाथ कौम नाथ साकिन सूरतगढ़ को जरिये बैयनामा के बेचान कर दी थी जिसका ईन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में 21/20.12.2012 को दर्ज शुदा है। अपीलांट द्वारा उतरवादी संख्या 2 की भूमि रोही मोजा भोजेवाला के खेत खसरा नम्बर 18/6 कि 5.819 है0 बारानी खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा हरूनाथ व गिरधारीनाथ से खरीदशुदा है जिसका इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड के इन्तकाल संख्या 28 दिनांक 20.04.2013 को दर्ज है। जो कि रिकॉर्ड से साबित होता है। इस प्रकार एक ही भूमि का दो बार अलग–अलग व्यक्तियों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः तहसीलदार सूरतगढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 272 दिनांक 12.10.2022 काननू सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 272 दिनांक 12.10.2022 कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 11:28:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner